वन भूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 497/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में तिमिलटनौला–आरूसारी–विरोट–भीमीटीला होते हुए तलाई तक मोटर मार्ग का निर्माण। (7.250किमी.) (0.945है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 1527/।।।(2)/15–01(मा.मु.घो.)/2015 दिनांक 28.02.2015 के द्वारा 6.00 किमी. लम्बाई व वास्तविक लम्बाई 7.720 हेतु ₹ 105.30 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के निर्माण की मांग क्षेत्रीय जनता एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा लम्बे समय से की जा रही है। **यह मोटर मार्ग विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत पड़ता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामसभा तिमिटनौला, आरूसारी, विरोट, महंग्यारी, तलाई आदि ग्रामीणों की जनता को सीधे लाभ मिलते हुए आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ भी मिलेगा।** इस मार्ग के निर्माण हेतु दो तीन स्थान से सर्वेक्षण का कार्य किया गया, जिसमें कम से कम वन भूमि व ग्रामीणों की सहमति तथा विभागीय मानकों के अनुसार इस समरेखण पर स्वीकृति प्राप्त हुई। अन्य समरेखणों में घने जंगल व अधिक वन भूमि प्रभावित होने के कारण निरस्त किये गये। इस मार्ग के बनने से स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा व पलायन की कमी के साथ–साथ पयर्टन को भी बढावा मिलेगा। इस हेतु सिविल सोयम भूमि 0.135है0 व वन पंचायत भूमि 0.810है0 इस प्रकार कुल 0.945है0 वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। चूँकि यह मार्ग आबादी भाग में नाप भूमि से गुजरता हुआ दूसरे ग्रामों को जोड़े जाने हेतु उस मध्य पड़ने वाली वन भूमि से मार्ग को ले जाना ही एकमात्र विकल्प है, जिस हेतु समरेखण के अन्तर्गत वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

उप प्रभागीय वन अधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा